न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00269 **दायरा दिनांक : 06.12.2019**

उनवान

कालूलाल आत्मज धूलीलाल, जाति मीणा, निवास कैथूनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1– बाबूलाल आत्मज पन्नागिरी, जाति गुसाई, निवासी दहीखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
2– ओम प्रकाश आत्मज मोहनलाल, जाति गुसाई,
3– रामबिलास आत्मज मोहनलाल, जाति गुसाई, निवासी दहीखेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
4– मुकेश आत्मज मोहनलाल, जाति गुसाई, निवासी दहीखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
5– गीता आत्मजा मोहनलाल पत्नी रामेश्वर, जाति गुसाई, निवासी नागदा, तहसील अन्ता, जिला बारां
6– मन्जू आत्मजा मोहनलाल पत्नी गणेश, जाति गुसाई, निवासी मोड़क गांव, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
7– राधेश्याम आत्मज पन्नागिरी, जाति गुसाई, निवासी दहीखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
8– बदरीलाल आत्मजा किशना, जाति गुसाई, निवासी दहीखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
9– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, खानपुर, जिला झालावाड
10– उपपंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय खानपुर, जिला झालावाड़।
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 26.10.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या– 936/दावा/2017 निर्णय दिनांक 09.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम केथूनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड में खाता संख्या नया 87 व पुराना 89 की खसरा नम्बर 208 की रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 की 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 210 की 22 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 3 की कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 के खाते दर्ज है जिसमें प्रतिवादी कम 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। दौराने वाद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.03.2019 को आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत प्रतिवादी नं. 1 ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2019 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी नं. 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 स्वीकार किया तथा वादी का वाद पत्र सं. 936/2017 खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 26 सपठित आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 1 के प्रावधानों के तहत वादपत्र के प्रस्तुत किया जाता है इसी अधिनियम के आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 2 के प्रावधानों के तहत वादपत्र में आदेश 6 व 7 के अन्तर्विष्ट नियमों के अनुपालन से सम्बन्धित प्रावधान है साथ ही अधिनियम के आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 3 के प्रावधान के तहत वादपत्र को सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जावेगा जब तक वह उपनियम 1 तथा 2 की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पालना नहीं करता है।

4 जब न्यायालय वादपत्र को सम्यक रूप से संस्थित किया हुआ मान लेता है तब वह वादपत्र को अपने वादों के रजिस्टर में आदेश 4 नियम 2 के तहत प्रविष्ट करता है जिसमें वाद के संख्याक हर वर्ष के कम में अंकित किए जावेगे। यहां वादपत्र परिवर्तित होकर वाद बन जाता है जिस कारण ही आदेश 5 नियम 1 में उसे वाद के नाम से संबोधित किया गया है, आदेश 5 नियम 1 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण को विवाद्यकों के स्थिरीकरण के सम्मन जारी किए जाते हैं व जिसमें प्रतिवादीगण से यह चाहा था कि वे वादी के वाद के संबंध में उपस्थित हो तथा लिखित प्रत्युत्तर दे।

5 उक्त विविधक विवेचन के अनुसार "वादपत्र का नामन्जूर किया जाना" के शब्द विन्यास में आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 3 के प्रावधान के उस समय आकर्षित होते है जब वादी उपनियम 1 तथा 2 की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पालना नहीं करता है तथा यह भी उस समय जब प्रतिवादीगण की उपस्थिति माननीय न्यायालय में नहीं रहती है तथा वाद पत्र अपने पूर्ववत स्वरूप में वाद पत्र रहता है अर्थात् "वादपत्र का नामन्जूर किया जाना" के शब्द विन्यास वादी तथा न्यायालय के मध्य का मामला है।

6 जब वादपत्र परिवर्तित होकर वाद बन जाता है प्रतिवादीगण को विवाद्यकों के स्थिरीकरण के सम्मन जारी किए जाते हैं व जिसमें प्रतिवादीगण से यह चाहा था कि वे वादी के वाद के संबंध में उपस्थित हो तथा लिखित प्रत्युत्तर दे तब वाद को प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आदेश 7 नियम 11 के शब्द विन्यास उक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित होने के पूर्व के है तथा वाद के पूर्व के है, अर्थात् आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान में "वाद का नामंजूर किया जाना" शब्द नहीं है अपितु "वादपत्र का नामन्जूर किया जाना" है, जिसमें प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर उसे अधिकार के तहत "वादपत्र का नामन्जूर किया जाने का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत न कर "वादपत्र का नामन्जूर किया जाना" बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने विधिक दायित्व का उल्लंघन किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग किया है।

7 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा राजस्व वाद 936/वाद/2017 वाद शीर्षक कालूलाल बनाम बाबूलाल में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 को अपास्त किया जावे।

8 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

9 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2015 Western Law Cases (Raj.) UC पेज 299, 2019 ALL SCR 2018, 2011 (4) Western Law Cases (Raj.) पेज 531 न्यायित दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

10 हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 को अपास्त किया जाये। हमने प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 1 के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से पूर्व वैधानिक प्रावधानों पर विधि सम्मत रूप से विचार कर प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है, जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि होना नहीं पाया गया क्योंकि वादी अपीलांट को वादग्रस्त आराजी पर मात्र इकरारनामे के आधार पर खातेदार नहीं माना जा सकता। वादी अपीलांट इकरारनामे के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है लेकिन राजस्व न्यायालय में केवल इकरारनामे के आधार पर खरीददार खातेदारी की घोषणा नहीं करवा सकता। जहॉ तक वादी अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात् आदेश 5 नियम 1 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण को विवाद्यकों के स्थिरीकरण के सम्मन जारी कर प्रतिवादीगण से यह चाहा था कि वे वादी के वाद के सम्बन्ध में उपस्थित होकर लिखित जवाब दे, तब वाद को प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। जहॉ तक सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के जवाबदावे से पूर्व प्रस्तुत करने का प्रश्न है, तो दावे की किसी भी स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसलिए जवाबदावा प्रस्तुत करने से पूर्व आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में कोई अवैधानिकता नहीं है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के किसी भी प्रावधान के आधार पर वाद को किसी भी स्टेज पर खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय स्वयं भी सक्षम है। इस हेतु किसी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो ऐसा नियम 11 में कहीं अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत अपने सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वादी अपीलांट के वाद को खारिज करने के पर्याप्त वैधानिक कारण अंकित किये थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय यह मानते हुए कि अपंजीकृत बेचाननामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होकर केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। प्रतिवादी नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है, जो वैधानिक रूप से सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 विधि सम्मत होने के कारण हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

11 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 यथावत रखा जाता है ।

12 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा